

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 277 /11-सी-FP/UP/Others/31676/2018, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 3, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा जनपद-हरदोई में राजमार्ग सं०-38 (बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग) के किमी० 00.00 से किमी० 21.00 तक व राजमार्ग सं०-21 (बिलराया-पनवारी मार्ग) के किमी० 174.00 से किमी० 199.00 तक कुल 46 किमी० एवं 0.4848 हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्रांक-2222/14-2-2018-800(107)/2018, दिनांक 27.07.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने पत्रांक-657/5-8-4, दिनांक 02.08.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
318

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Others/31676/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, हरदोई।
3. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।